न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 100/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/169

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
कानाराम पुत्र राणाराम जाति घांची, निवासी रूपावास, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान		1. छगनलाल उर्फ छेलाराम पुत्र राणाराम जाति घांची निवासी रूपावास, तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान। 2. ग्राम पंचायत रूपावास जरिये सरपंच रूपावास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा।

-: निर्णय :-

दिनांक : 12/08/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत रूपावास द्वारा मिसल संख्या 08/2000-2001, संकल्प संख्या 06 दिनांक 06.09.2002 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 298 दिनांक 05.12.2004 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनों सगे भाई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी परिसर ग्राम रूपावास में आया हुआ है। उभयपक्ष के पिता राणाराम की मृत्यु के बाद हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों अनुसार सहस्वामी हुए है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने जैर आराजी पर स्वयं अकेले का मालिकाना कब्जा बताते हुये जैर निगरानी पट्टा अपने पक्ष में जारी करवा दिया। जैर निगरानी पट्टा जिस प्रस्ताव की पालना में जारी किया गया वह प्रस्ताव बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अंकित ही नहीं है। उक्त पट्टा पंचायतराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जारी किया गया है। अपने कथनों के सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ 458, 1995 DNJ 413, 2000(2) RLW 911, 2018(2) DNJ 497, 2015(1) DNJ 443 पेश कर जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

है। प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका 21 वर्ष की देरीना पेश की तथा उक्त देरीना का कोई सुस्पष्ट कारण भी नहीं बताया है, जो कि म्याद बाहर होने से भी खारिज योग्य है। जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा है तथा अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश किया गया तत्पश्चात् ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुये विधिसम्मत तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया। अपने कथनों के सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त 2008(2) DNJ (Raj.) 735 Abdul Latif & Anr. vs State & Ors. पेश कर प्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत रूपावास द्वारा मिसल संख्या 08/2000–2001, संकल्प संख्या 06 दिनांक 06.09.2002 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 298 दिनांक 05.12.2004 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र रह रहा कि प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका 21 वर्ष के विलम्ब के बाद पेश की, जो म्याद बाहर है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2008(2) DNJ (Raj.) 735 Abdul Latif & Anr. vs State & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 270–राजस्थान पंचायत नियम, 1996–नियम 166–पुनरीक्षण–का विस्तार– प्रार्थी ने कलेक्टर के समक्ष यह अभिकथित करते हुए पुनरीक्षण दायर किया कि ग्राम पंचायत ने विधि के प्रावधानों के विपरीत पट्टे जारी किये–पुनरीक्षण 21 वर्षों की देरी से दायर किया गया–प्रार्थी को अपील का त्वरित उपचार उपलब्ध था लेकिन उसने पुनरीक्षण याचिका को पोषणीय करने में हितबद्ध व्यक्ति है–पट्टे वर्ष 1981 में जारी किये गये तथा प्रार्थी ने पुनरीक्षण याचिका वर्ष 2002 में दायर की वह भी देरी का समुचित कारण बताये बिना–अप्रार्थी संख्या 6 ने वर्ष 1998 में विवादित भूमि पर निर्माण कराना शुरू किया तथा इस बारे में अन्य लोगों ने दीवानी वाद भी दायर किया–निर्णित, जिला कलेक्टर ने प्रार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करके सही किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने उपरोक्त उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice. इसी प्रकार 2018(2)DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the reisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों को प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते है। साथ ही मे विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि 21 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जिस प्रस्ताव की पालना में जारी किया गया है उस प्रस्ताव का बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अंकन हीं नहीं है। विपक्षी अधिवक्ता ने अधिवक्ता प्रार्थी के उपरोक्त उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों के प्रावधानों के अनुरूप जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 15.08.2002 के पश्चात् आगामी बैठक दिनांक 02.10.2002 को की गयी तथा कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 06.09.2002 का अंकन ही नहीं है जबकि बैठक रजिस्टर के पेज अनवरत है अर्थात् जैर निगरानी पट्टा जिस प्रस्ताव दिनांक 06.09.2002 की पालना में जारी किया गया है, उस दिनांक को ग्राम पंचायत की कोई बैठक ही आयोजित नहीं हुई। इसका मतलब है कि प्रश्नगत प्रस्ताव का अस्तित्व ही नही है, यानी पट्टा नियमविरूद्ध तरीके से जारी किया गया। किसी पट्टे को जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत की विधिवत बैठक, प्रस्ताव की स्वीकृति और पारदर्शिता जरूरी है, बिना प्रस्ताव पट्टा जारी करना अवैध कार्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा रेकर्ड के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र दिनांक 29.07.2025 के अनुसार मिसल संख्या 08/2000–2001 ग्राम पंचायत में नहीं है और आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि प्रश्नगत पट्टा जिस संकल्प की पालना में जारी किया गया वह प्रस्ताव भी बैठक कार्यवाही रजिस्टर में नहीं है। इस स्थिति में यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना मिसल कायम किये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो Ab Initio Void है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ 458 Dhanraj and Anr. vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट की है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगे गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियां भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ–अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इसी प्रकार 1996 DNJ (Raj.) 413 Mahaveer Prasad vs State of Rajasthan & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत (साधारण) नियम, 1961–नियम 256 व 260–पंचायत द्वारा भूमि का विक्रय–प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी–अपर कलेक्टर ने पट्टा और विक्रय की सारी कार्यवाही को रद्द कर दी–पंचायत का प्रस्ताव रजिस्टर में नहीं लिखा है–भूमि के विक्रय हेतु कोई लोक सूचना जारी नहीं हुई–अभिनिर्धारित, रिट याचिका गुणागुणहीन होने से खारिज की जाती है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टे की मिसल कायम नहीं की गयी जिससे यह साबित है कि उक्त पट्टा जारी करने के दौरान राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पालना नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. इसी प्रकार RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रूपावास द्वारा मिसल संख्या 08/2000–2001, संकल्प संख्या 06 दिनांक 06.09.2002 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 298 दिनांक 05.12. 2004 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 12/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)